

प्रारूप-2

[नियम 8-क उप-नियम (4) देखिए]

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही (राजस्थान)

क्रमांक-जिशिअ/प्राशि/सि/आरटीई/2016-17/३५८
अध्यक्ष/प्रबंधक प्रबंध समिति

दिनांक:- ०५.०९.२०१६

मारुति इण्टरनेशनल स्कूल, उडवारिया, सर्लपगंज ब्लॉक-पिण्डवाडा, सिरोही

विषय-नियम 8-क उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 10.05.2016 और इस सम्बंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं चन्द्र मोहन उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, सिरोही मारुति इण्टरनेशनल स्कूल, उडवारिया, सर्लपगंज ब्लॉक-पिण्डवाडा, सिरोही को सत्र 2016-17 से प्रारम्भिक कक्षाओं (01 से 08 तक) अंग्रेजी माध्यम के लिए मान्यता मंजूर करता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन है-

01. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे 01. मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
02. विद्यालय निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के उपबन्धों का पालना करेगा।
03. विद्यालय स्तर कक्षा-1 में या यथार्थति विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा के छात्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवायेगा।
04. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय का एक पृथक बैंक खाता रहेगा।
05. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संप्रीति नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या सरकार को किसी छटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
06. विद्यालय आयु के संबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इन्कार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालना करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-
 - (i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा।
 - (iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) 2009 अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए।
 - (vi) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप धारा (1) के अधीन अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें। परन्तु वर्तमान अध्यापक जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं रखते हैं। वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 परन्तुके उपबन्धों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन कियाकलायों में नहीं लगायेंगे।
07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अभिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगे।
08. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुसरण करेंगे।
09. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएँ या खेल मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिये जायेंगे।
11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टर्ड एकाउंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा, और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विदरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **SRO201601** है। कृपया इसे नोट किया जावे, और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जावे।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा, जिनकी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्दशों की पालना करेगा, जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाए।
16. निजी विद्यालय को जिस सत्र की मान्यता स्वीकृति जारी की गई है, उसी सत्र में विद्यालय प्रारम्भ करना होगा। विद्यालय शुरू नहीं करने की स्थिति में दी गई मान्यता स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी तथा संस्था को अगले सत्र प्रारम्भ से पूर्व मान्यता के लिए विधिवत नियमानुसार पुनः शुल्क आदि जमा करवाकर आवेदन करना होगा।

क्रमांक-जिशिअ/प्राशि/सि/आरटीई/2016-17/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01. श्रीमान निजी संचिव निदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर।
02. श्रीमान उप निदेशक (आरटीई) निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
03. श्रीमान उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
04. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, सिरोही।
05. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पिण्डवाडा।

दिनांक -

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा सिरोही

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा सिरोही